

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 220] No. 220] नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2017/ज्येष्ठ 8, 1939

NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2017/JYAISTHA 8, 1939

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 26 मई, 2017

फा. सं. मानक/एससीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफ़एसएसएआई-2016.—अधिसूचना संख्यांक फा. सं. मानक/ एससीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफ़एसएसएआई-2016, तारीख 15 मई, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड- 4, में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) चौथा संशोधन विनियम, 2017 के पृष्ठ संख्या 1-9 पर प्रकाशित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना में –

- 1. पृष्ठ 4, पंक्ति 5 में "बोर्नियो टैलो (Shorea spp.)" का विलोप करें।
- 2. पृष्ठ 4, पंक्ति 6 में "शिया (Butyrospermum parkii)" का विलोप करें।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./87/17]